POLITY

National Emergency

राष्ट्रीय आपातकाल ⇒ Art. 352

↳ घोषणा ⇒ राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिमण्डल की लिखित अनुमति के बाद। [44 CA 1978]

आधार [Ground] – [1] युद्ध [war]

[2] बाह्य आक्रमण [External Agression]

[3] सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion]

↳ 44 CA 1978

3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा

[1] 1962 → चीन आक्रमण [Attack] ⇒ PM → Pt. J.L. Nehru, President → डॉ० एस० राधाकृष्णन

[2] 1971 → पाक० " ⇒ PM ⇒ इंदिरा गांधी, President → वी० वी० गिरी

[3] - 1975 → आंतरिक अशांति [Internal Disturbance]

हटाओ (Remove) ⇒ 44CA 1978

PM ⇒ इंदिरा गांधी

President ⇒ फखरुद्दीन अली अहमद

सशस्त्र विद्रोह Armad Rebellon

1978 ⇒ PM ⇒ मोरारजी देसाई

↳ 44 CA 1978

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
[Proclamation of National Emergency]

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु.- 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब भी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गम्भीर आपात विद्यमान है जिसमें, युद्ध (War) या बाहा आक्रमण [External aggression] या सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion] के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा [Proclamation] कर सकता है।

उद्घोषणा का अनुमोदन ⟹ LS और RS
[Approval of Proclamation]

→ यदि दोनों सदन उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वत: समाप्त हो जाती है। किन्तु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, if both the Houses do not approve the Proclamation within a month, the proclamation automatically expires. But if the proclamation is made at that time,

Approval (अनुमोदन) ⇒ LS और RS

→ घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर ⅔ (within 1 months)

→ 1 बार अनुमोदन से 6 माह (month's) तक लागू

→ 6 माह ⇒ के बाद लगाने के लिए फिर से अनुमोदन

2/3 Majority बहुमत
↳ विशेष बहुमत

→ अधिकतम समय (Maximum Duration) ⇒ असीमित समय [Unlimited]

उद्घोषणा का प्रभाव
[Effect of Proclamation]

⇒ संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्यसूची [State List] के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। The legislative power of the parliament expands. It can make laws on any subject in the State List

राज्य सूची State list ⇒ राज्य सरकार State Govt. (विधानमंडल legislature) → राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून संसद बनाती है।

⇒ शक्तियों का केंद्रीकरण
Centralization of Powers

⇒ संसद द्वारा बनाई गयी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है
A law made by the Parliament expires after six months when the proclamation is no longer in operation.

राष्ट्रीय आपातकाल के समय → संसद ने राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाये थे, वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद समाप्त हो जाते है,

अनु. 358 - के अनुसार जब युद्ध या बाहा आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनु: 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार [Rights of Freedom] स्वत: निलम्बित हो जाता है, According to Article 358, when a proclamation of emergency based on war or external aggression is in operation, the right to freedom guaranteed by Article 19 is automatically Suspended.

rojgar with ankit

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव — Art 358 → Art. 19 स्वतंत्रता का अधिकार

↳ अगर राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध (War) या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो Art. 19 निलंबित [Suspended] हो जायेगा।

अनु० 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तित [Enforce] कराने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है।

⇒ Under Article 359, the president has been given the power to suspend the right to enforce the fundamental rights

Art. 359 ⇒ राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित (Suspend) कर सकते हैं Art. 20, और 21 छोड़कर।

⇒ संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे. Parliament has the power to extend the term of the Lok Sabha for one year at a time,

राष्ट्रीय आपातकाल ⟹ संसद → लोकसभा, विधानसभा (Legislative) → दोनों के कार्यकाल - 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है

उद्घोषणा की वापसी
[Revocation of Proclamation]

→ वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। The recalling proclamation does not require approval by parliament.

→ राष्ट्रपति वापस लेते हैं।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन
[President Rule in the State]

राज्यों में संवैधानिक तंत्र (Constitutional machinery) विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनु० 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोल-चाल की भाषा में 'राष्ट्रपति शासन' कहा जाता है When the Constitutional machinery fails in the states, the proclamation issued by the president under Article 356 is Commonly known as 'President's rule'.

राष्ट्रपति शासन → Art. 356

→ घोषणा → राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल का अनुमोदन → मौखिक (Oral)
(Approval of Cabinet)

→ आधार (Ground) ⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल (failed the Constitutional Machinary in States)

जानकारी ⇒ राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।

उद्घोषणा का अनुमोदन → LS/RS

(Approval of Proclamation) → घोषणा के दिन - 2 माह / 2 mont.
→ साधारण बहुमत (Simple Majority)

⇒ प्रत्येक सदन द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (साधारण बहुमत) से दो माह के भीतर पारित करना होता है* अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। It has to be passed by each House by a majority (Simple majority) of the members present and Voting within two months' otherwise it lapses automatically. - 1 बार

अनुमोदन - 6 माह तक लागू
Maximum Duration - 3 years / 3 वर्ष

उद्घोषणा का प्रभाव
[Effect of Proclamation]

⇒ राज्य विधानमण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जायेंगी। The powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of parliament.

→ शक्तियों का केंद्रीकरण [Centralization of Powers]
वापस ⇒ राष्ट्रपति

वित्तीय आपात [Financial emergency]

⇒ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपात' के बारे में प्रावधान किया गया है।
Provision for 'financial emergency' has been made under Article 360 of the Constitution

→ आधार - वित्तीय अस्थिरता
financial unstability